ई-मेल

संख्या- 13/2020/1382/आठ-3-20-34 विविध/2008

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0 लखनऊ।

4. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र,
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 25 नवम्बर, 2020**

विषयः सेल्यूलर/मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोगार्थ टावर निर्माण हेतु प्राप्त हो रहे आवेदनों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय अभिकरणों में सेल्यूलर/मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सर्विस के प्रयोगार्थ टावर की स्थापना हेतु प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों पर आर.डब्ल्यू.ए. का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। जबकि इस संबंध में शासनादेश संख्या-462/ 8-3-16-34 विविध/08 दिनांक 17.06.2016 के माध्यम से निर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित) अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग एवं बहुमंजिले भवनों हेतु आर.डब्ल्यू.ए. की अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये जाने के प्राविधान बिन्दु संख्या-12.1(i) को विलोपित किया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान में विभिन्न अभिकरणों/प्राधिकरणों में टावर की स्थापना हेतु प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आर.डब्ल्यू.ए. की अनापत्ति/सहमति की अनिवार्यता/बाध्यता नहीं है।

2- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2016 में निहित प्राविधानों के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या: 13/2020/1382(1)/आठ-3-20-34 विविध/2008-तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित को आदेश की प्रति तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in